उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-13/61/30-3-14-83जीई/2012
लखनऊ, दिनॉक 29 जनवरी, 2014

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियम-4(1) में निहित व्यवस्थानुसार परिवहन आयुक्त संगठन के निम्नांकित तालिका में उल्लिखित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) को उनके नाम के सम्मुख कालम-4(1) में अंकित तिथि से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है :-

क्रमांक	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का नाम	नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1-	श्री राजकिशोर त्रिवेदी	28.05.1999	28.05.2001
2-	श्री राकेश चन्द्र श्रीवास्तव	28.05.1999	28.05.2001
3-	श्री धर्मदेव मिश्रा	28.05.1999	28.05.2001
4-	श्री दिनेश कुमार	01.09.2001	01.09.2003
5-	श्री अशोक कुमार मिश्रा	23.08.2001	23.08.2003
6-	श्री अर्जुन सिंह	28.08.2001	28.08.2003
7-	श्री राधेश्याम यादव	18.07.2003	18.07.2005
8-	श्री सौरभ कुमार	23.09.2008	23.09.2010
9-	श्री संदीप कुमार पंकज	10.09.2008	10.09.2010
10-	श्री दीपक कुमार शाह	05.09.2008	05.09.2010
11-	श्री अवधेश कुमार	01.01.2009	01.01.2011
12-	श्री संजय कुमार तिवारी	01.01.2009	01.01.2011
13-	श्री विश्वजीत प्रताप सिंह	01.01.2009	01.01.2011
14-	श्री शेर सिंह	01.01.2009	01.01.2011
15-	श्री राकेन्द्र कुमार	01.01.2009	01.01.2011
16-	श्री प्रणव झा	01.01.2009	01.01.2011
17-	श्री उदयवीर सिह	01.01.2009	01.01.2011
18-	श्री अशोक कुमार	01.01.2009	01.01.2011
19-	श्री मो0 खालिद	12.04.2010	12.04.2012
20-	श्री ए0के0 त्रिवेदी	12.04.2010	12.04.2012
21-	श्री संजय कुमार झा	12.04.2010	12.04.2012
22-	श्री ए0के0 सिंह राजपूत	12.04.2010	12.04.2012
23-	श्री मनोज कुमार वर्मा	04.06.2010	04.06.2012

http://sbsanadesh.up.nic.in

24-	श्री शंकर जी सिंह	07.09.2010	07.09.2013
25-	श्री मनोज कुमार सिंह	02.09.2011	02.09.2013

2- उपरोक्त स्थायीकरण आदेश का सम्बन्धित अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ह0
(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/61(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक-940(जी)ई/2013-147ई/95, दिनॉक 06-01-2014 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि जिन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकाररी (साधारण वेतनमान) की परिवीक्षा अवधि की प्रविष्टियॉ अप्राप्त हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराकर स्थायीकरण का अनुपूरक प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)।
4- निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को गजट के आगमी अंक में प्रकाशनार्थ।
5- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in